



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE RUHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: रु.वि.वि/नोडल/2025/46

दिनांक: 22/11/2025

छात्रवृत्ति सूचना

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय:- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2025-26 के मास्टर डाटा की हार्ड कॉपी जमा करने के सम्बद्ध में।

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 115/2025/1370/26-3-2025-1741061 दिनांक 10 जून, 2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की समय सारिणी के अनुसार, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से संबन्धित नवीन/पूर्व से संचालित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है, सत्र 2025-26 हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का मास्टर डाटा डिजिटल लॉक करके उसकी हार्ड कॉपी नोडल अधिकारी कार्यालय विश्वविद्यालय परिसर में श्री उमेश कुमार के पास दिनांक 20/11/2025 शाम 4:00 बजे तक निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ फाइल जमा नहीं कि है, और जिन महाविद्यालयों की फाइल नोडल कार्यालय में अधूरी है, ऐसे महाविद्यालयों का ऑनलाइन डाटा का सत्यापन करना सम्भव नहीं है, ऐसे सभी महाविद्यालयों को अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 27/11/2025 जमा काराये अन्यथा उन महाविद्यालयों की सूची को निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि एवं समय तक अपने महाविद्यालय का मास्टर डाटा संलग्नकों सहित जमा कराने का कष्ट करें। उक्तनिर्धारित तिथि के पश्चात मास्टर डाटा को अग्रसरित कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यदि महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरने से वंचित रह जाते हैं तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

भवदीय

प्रो० (पी०बी०) सिंह
वि०वि० नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ
2. कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड वि०वि० बरेली।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ हेतु।
4. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रो० (पी०बी०) सि
वि०वि०-नोडल अधिक
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति